

न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 22 / 2017

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये

पटवारी हलका
भाखरपुरा

श्री मोरसिंह पुत्र जवाहर सिंह
कोम राजपुरा सा. भाखरपुरा
मतारा वाप वेदाव हनुमान
वाप मीणा कोम राजपुरा
सा. सिंघासवा हरनिमान

दिनांक 28.08.17

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी श्री मोरसिंह उपस्थित, शेष अनुपस्थित

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी / अप्रार्थीगण ने सरहद मौजा ~~मौजा 61~~ सरकारी भूमि ख.नं. ~~259/491~~ कुल रकबा ~~143.15~~ किस्म गै. मु. गोचर मेंसे ~~5.64~~ बीघा भूमि पर ~~का~~ ~~व्यवहार~~ अनाधिकृत कब्जा किया है , अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया , जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं ।

नियत तारीख पेशी दिनांक ~~28.8.17~~ को प्रार्थी पटवारी हलका तथा अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ श्री ~~मोरसिंह~~ उपस्थित , अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ ने जबाब पेश नहीं किया तथा जबाब पेश नहीं करना चाहता, उक्त भूमि पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया , अतः अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ की शहादत बन्द की जाती है । शेष अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित है अत एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है


प्रार्थी पटवारी हलका ने ~~अप्रार्थी~~ / अप्रार्थीगण को बेदखल करने तथा दंडित करने का निवेदन किया

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त भूमि पर ~~अप्रार्थी~~ / ~~अप्रार्थीगण~~ के अतिक्रमण की पुष्टि होती है अतः ~~अप्रार्थी~~ / अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाता है



तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। यदि मौके पर फसल खड़ी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान 7.40 रुपये का बीस गुणा 148 अक्षरे रुपये ~~रा. स. गुडामालानी~~ शास्ति जुर्माना आरोपित की जाती हैं, जो वसूल हो। जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो।

निर्णय दिनांक 28.8.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल दफतर दाखिल हो।


(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी